

२०५१९

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता फैजाबाद क्षेत्र लो०नि०वि० फैजाबाद

पत्रांक:- 2903फै०क्षे० / 74याता-(गो०वृत्त) / 16

सेवा में,

जिलाधिकारी

जनपद-गोण्डा ।

दिनांक:- २० / ०४ / 2017

विषय:- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद गोण्डा में गोण्डा उत्तरौला मार्ग के किमी० 19 में (चैनेज 18.600मी०) डीजल / पेट्रोल रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक-67 / जे०ए०(अना०प्र०पत्र) / 2017 दिनांक 16-03-2017

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता गोण्डा वृत्त लो०नि०वि० गोण्डा के पत्रांक-782 / 114काम-गो०वृत्त / 17 दिनांक 07-04-2017 द्वारा जनपद गोण्डा में गोण्डा-उत्तरौला मार्ग के किमी० 19 (चैनेज 18.600मी०) में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या-269 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1— उपरोक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट जनपद गोण्डा में ग्राम-बेलहरी, तहसील-गोण्डा में गाटा संख्या-269 पर जनपद गोण्डा में गोण्डा उत्तरौला मार्ग (मुख्य ज़िला मार्ग-18ई) के किमी० 19 में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है ।
- 2— मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से दौयी ओर 18.28 मीटर (60फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय ।
- 3— प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिटटी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी० नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए ।
- 4— रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके ।
- 5— सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-३ हयूम पाइप / आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय ।
- 6— बफर स्ट्रिप जो न्यूनतम 3.00मीटर की चौड़ाई में तथा जिसकी न्यूनतम लम्बाई 12.00 मीटर हो । टायलेट रोड एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 18.28 मीटर की दूरी के बाद करना होगा ।
- 7— भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लो०नि०वि० पर नहीं होगी । भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे । भू-स्वामित्व होने पर ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा ।
- 8— इन एवं एकिजट हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें ।
- 9— प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू०पी०रोड सा०ले०क०एकट-1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा ।
- 10— भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट / मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा ।

- 11— एम०ओ०एस०टी० द्वारा जारी पत्रांक—आर०डब्ल०/एन०एच०/33023/19/99—डी०ओ०—।।। दिनांक 24-07-2013 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवंआई०आर०सी०कोड—12, 1983 में दी गयी शर्तें लागू होगी ।
- 12— जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा ।
- 13— प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र संख्या—4888एम०टी०/सामान्य वर्ग/40एम०टी०—23 /14 दिनांक 30-12-14 द्वारा विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—12, उ०प्र०शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के कस में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री राजू जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल निवासी—धानेपुर बाजार, गोण्डा पर बाध्यकारी होगा ।
- 14— लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा ।
- 15— निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय ।
- 16— एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी ।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी ।

संलग्नक:—मानचित्र एवं समस्त अभिलेख (मूल में)

  
११५१३

(आर०आर०सिंह)

मुख्य अभियन्ता  
फैजाबाद क्षेत्र लो०नि०वि० फैजाबाद



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— अधीक्षण अभियन्ता गोण्डा वृत्त लो०नि०वि० गोण्डा को उनके पत्रांक—782/114काम—गो०वृत्त/17 दिनांक 07-04-2017 के संदर्भ में ।
- 2— अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० गोण्डा ।

  
मुख्य अभियन्ता

फैजाबाद क्षेत्र लो०नि०वि० फैजाबाद